कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन भोपाल

कमांक प्र.अ. / विधि– / लो.स्वा.यां.वि. / 2023 भोपाल, दिनांक
प्रति,

श्री रमेश चंद्र ओझा
सेवानिवृत्ति दैनिक वेतन भोगी हेल्पर
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
खंड श्योपुर

विषयः– माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की रिट पिटीशन क्रमांक 21473 / 2022 के माध्यम से चाहे गए स्वत्वों के सम्बन्ध में।

–––X–––

कृपया म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की संदर्भित रिट पिटीशन क्रमांक 21473 / 2022 का अवलोकन करने कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई हैः–

(अ) प्रतिवादियों को निर्देश जारी किये जाये कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **''राम नरेश रावत''** प्रकरण में निर्धारित किये गये दृष्टांत के अनुसार वादी कर्मचारी को हेल्पर के पद का नियमित वेतनमान का न्यूनतम वेतन स्थायी वर्गीकृत किये जाने के दिनांक से दिनांक 31.12.2011 तक की अवधि का प्रदान करें।

(ब) प्रतिवादियों को यह भी निर्देश जारी किये जायें कि वे वादी कर्मचारी के सेवानिव्त्ति पर देय स्वत्वों, जिसमें परिपत्र दिनांक 27.8.2018 के अनुसार उपादान राशि भी शामिल है, का भुगतान ब्याज सहित करें।

आपके द्वारा रिट याचिका क्रमांक 14145 / 2022 के माध्यम से चाहें गये स्वत्वों के सम्बन्ध में विभाग की ओर से निम्न जानकारी आपके सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

(I) आपके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ''राम नरेश रावत (सुप्रा)'' प्रकरण में पारित आदेश के प्रकाश में दिनांक 30.06.2003 से दिनांक 31.12.2011 तक की अवधि की वेतन एरियर राशि का का लाभ चाहा गया है । इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराया जाता है कि वर्तमान में विभाग द्वारा एरियर राशि का निर्धारण निम्न न्याय दृष्टांतो के आधार पर किया जा रहा है

(अ) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **''एम.आर. गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य''** में पारित निर्णय दिनांक 21 अगस्त 1995 **[**1996 AIR 669, 1995 SSC (5) 628**],** सिविल अपील क्रमांक 5151-5152 / 2008 **''भारत संघ एवं अन्य बनाम तरसेम सिंह''** , सिविल अपील क्रमांक

4349 /2023 **''धरम पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एव अन्य''** में पारित निर्णय दिनांक 11 जुलाई 2023 तथा

(ब) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्र. 8014/2022(सुरेश कुमार तिवारी एव 11 अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2022, रिट पिटीशन क्र. 13892/2022 (हृदयराम यादव एवं 10 अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2022 एवं रिट पिटीशन क्रमांक 4802/2023 (श्रीनिवास मिश्रा विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2023

[उपर उल्लेखित न्याय दृष्टांतों के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गलत वेतन को सुधारने के मामलों में सेवारत् रहते हुए किसी भी समय माननीय न्यायालय के समक्ष त्रुटिपूर्ण वेतन को सुधारने हेतु वाद दायर किया जा सकता है। यदि गलत वेतन का दावा मेरिट के आधार पर सही पाया जाता है तो उसे भविष्य में नियमों के हिसाब से वेतन का भुगतान किया जाना चाहिये तथा इस मामले में पूर्व के वेतन एरियर के भुगतान के मामले में लिमिटेशन का प्रश्न उत्पन्न होगा तथा लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। लिमिटेशन एक्ट 1963 में इस हेतु अवधि मान न्यायलय के समक्ष प्रकरण दायर करने से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक की निर्धारित की गयी है।**]**

इस संबंध में लेख है कि आपके द्वारा दिनांक 30.06.2003 से दिनांक 31.12.2011 तक की अवधि की वेतन एरियर राशि को प्राप्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सेवानिवृत्ति के 11 वर्ष उपरांत, वर्ष 2022 में रिट याचिका दायर की गई है। सेवारत् रहते हुए आपके द्वारा कभी भी अपने गलत वेतन के संबंध में कोई प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष दायर नहीं किया गया था।

उपरोक्तानुसार वर्तमान में आपके द्वारा एरियर राशि को प्राप्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किया गया दावा, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अभिनिर्धारित न्याय दृष्टांतों तथा परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसार समय–सीमा के बाहर है।

(Ii) आपके द्वारा परिपत्र दिनांक 27.08.2018 के आधार पर उपादान राशि की मांग की गई है। इस संबंध में लेख है कि उक्त परिपत्र के माध्यम से म. प्र शासन द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के उपरांत सेवानिवृत्त होने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उपादान भुगतान के प्रावधान किये गए है। आपकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.2011 है । उक्तानुसार परिपत्र दिनांक 27.08.2018 के आधार पर आपको उपादान राशि की पात्रता नहीं आती है । दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए उपादान भुगतान के सम्बन्ध में, विभाग में प्रभावशीलता रखने वाला कोई नियम उपलब्ध नहीं है ।

प्रमुख अभियंता

पृ. कमांक प्र.अ./विधि– /लो.स्वा.यां.वि./2023 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–1 मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2 अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग चम्बल मंडल मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3 कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड श्योपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख अभियंता